कार्यालय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।

संख्या- 351 / नजारत--वाहन प्रतिस्थापना (नीलामी) / 2016

दिनांक 01.10.2016

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्याय विभाग के निष्प्रयोजन वाहन संख्या यू0पी0 46 / 0234 (डीजल जीप) एवं यू0पी0 26ए / 8686 पेट्रोल एम्बेसडर कार जो **जिला जज आवास पर खड़ी है** की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 24.10.2016 को दिन में 12.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार श्रावस्ती भिनगा में जिलास्तरीय नीलामी समिति द्वारा की जायेगी। नीलामी की शर्तें निम्नवत् होंगी:–

1– प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने की तिथि अर्थात् दिनांक 24.10.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक प्रत्येक वाहन के लिए 5000 / –(पांच हजार रूपये), अर्नेस्ट मनी के रूप में नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती में नकद जमा कर टोकन प्राप्त करना होगा।

2– बोलीदाता अपने साथ अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र व 02 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लायेंगे।

3– वाहन जहाँ है जैसी दशा में है,उसी दशा में नीलाम किया जायेगा।

4– समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित कर दी जाये।

5– नीलामी समिति का यह विचार होने पर कि बोली बोलने वाले व्यक्तियों में एक गिरोह बना लिया है और गाड़ी का उच्चतम मूल्य नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति परिलक्षित होने पर नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

6– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा बोली की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होते ही नकद जमा करना होगा।

7– चेक / बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– यदि नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो अन्तिम बोली निरस्त कर दी जायेगी और नीलाम किये गये उक्त वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा। ऐसी दशा में उच्चतम बोलीदाता की जमा धनराशि 5000 / –(पांच हजार रूपये) अर्नेस्ट मनी वहक राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

9– समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली को जब तक जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, नीलाम किये गये वाहन जहाँ है, वहीं पर रहेंगे।

10– उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत हो जाने के बाद बोली की समस्त धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा करना होगा तथा पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् वाहन जहाँ है, वहाँ से हटा लेना होगा।

11– नीलाम किये गये वाहन, उच्चतम बोली बोलने वाले को तभी दी जायेगी जब कि उसके द्वारा वाहन के सम्बन्ध में बोली गयी धनराशि का पूरा भुगतान कर दिया गया हो तथा वाहन को ले जाने की अनुमति दे दी गयी हो।

12– इच्छुक बोलीदाता बोली के पूर्व वाहन को किसी भी कार्यदिवस में वाहन जहाँ खड़ा है वहाँ स्थल पर जाकर देख सकते हैं। वाहन सं0 यू0पी0 46 / 0234 का न्यूनतम नीलामी मूल्य रू0 25,000 / - एवं वाहन सं0 यू0पी0 26ए / 8686 का न्यूनतम नीलामी मूल्य रू0 20,000 / – निर्धारित किया गया है।

13– नीलामी शर्त के विषय में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती का निर्णय अन्तिम होगा तथा विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही श्रावस्ती स्थित सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगी।

14– नीलामी तिथि को, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नीलामी स्थल में परिवर्तन करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती के विवेक पर निर्भर होगा और इस संबंध में बोली हेतु उपस्थित व्यक्तियों को जनपद न्यायाधीश द्वारा नियत स्थल पर बोली बोलने हेतु बाध्यता होगी।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2– सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनु0–4, लखनऊ।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनु0–12,लखनऊ।
4– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
5– आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
6– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, श्रावस्ती।
7– अतिरिक्त सूचना अधिकारी, श्रावस्ती को इस आशय से कि उक्त सूचना का प्रकाशन किसी एक दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कर बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
8– जनपद न्यायालय / जिला पंचायत / नगर पंचायत भिनगा / इकौना एवं कलेक्ट्रेट व तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9– सिस्टम आफीसर, जनपद न्यायालय, श्रावस्ती को इस आशय से कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय, श्रावस्ती की अधिकृत साइट पर अपलोड करें।

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती।